

पुष्क

श्री मोहीउद्दीन सालिक  
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ।

सेवा में,

सचिव,  
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ तेकेन्डी एजुकेशन,  
शिक्षा केन्द्र-2, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत बिहार, विकास मार्ग,  
नई दिल्ली- 110092

पटना, दिनांक

फरवरी 2003

विषय:-

संत मेरीज स्कूल, मसौढ़ी, पटना को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ तेकेन्डी एजुकेशन,  
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि  
दिनांक 24-12-02 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने  
के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में  
संत मेरीज स्कूल, मसौढ़ी, पटना को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ तेकेन्डी एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा  
मान्यता/सम्बद्धता इस शर्त के साथ देने में कोई आपत्ति नहीं है कि विद्यालय के प्रबंधन  
द्वारा नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को राज्य सरकार के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों  
के लिए अनुमान्य वेतनमान एवं भत्ता के अनुसार वेतनमान एवं भत्ते का भुगतान उनके द्वारा  
सुनिश्चित किया जाय ।

2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है । यह आदेश  
तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विशेषाज्ञाभाजन,

ह0- श्री मोहीउद्दीन सालिक।

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ।

कृपा।

आपकी

133

पटना, दिनांक

21

फरवरी 2003

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक/  
संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधि प्रेषित ।  
2- शैक्षणिक गुणावता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रति वर्ष  
कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा ।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय का निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकती है:-

।क। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली  
पाए जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर ।

।ख। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद  
के लिए राशि की व्यवस्था उसका दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो ।

